उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

Confiscation Case No. 10/23-24

सरकार

बनाम्

नवीन कुमार

—: आदेश :—

दिनांक। 0/12/24

विज्ञ सरकारी वकील एवं विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा विपक्षी की ओर से दाखिल कारण—पृच्छा के साथ अभिलेख का अवलोकन किया।

वर्तमान वाद की प्रक्रिया पुलिस अधीक्षक, गोड्डा के पत्रांक—619/अप0शा0 दिनांक—23.02.2014 से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। पुलिस अधीक्षक, गोड्डा ने देवडाँड़ थाना काण्ड सं0—30/23 दिनांक—20.10.2023 में जप्त पिकअप वाहन निबंधन सं0—BR21G-0392 (इंजन नम्बर—GHB1G75498, चेचिस नम्बर—MA1ZN2GHKB1G39343) के विरूद्ध धारा—272/273/284/420 भा0द0वि0 एवं 47ए/55 झारखण्ड उत्पाद शुल्क अधिनियम 1915 के तहत राजसात करने के लिए अनुशंसा किया है।

पुलिस अधीक्षक, गोड्डा का प्रतिवेदन है कि मामला देवडाँड़ थाना के स0अ0नि0 के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त पिकअप वाहन निबंधन सं0—BR21G-0392 (इंजन नम्बर—GHB1G75498, चेचिस नम्बर—MA1ZN2GHKB1G39343) के मालिक एवं चालक के विरूद्ध अवैध शराब का बिक्री कर परिवहन करने के आरोप में अंकित किया गया है एवं पर्यवेक्षक/प्रतिवेदन सं0—02 में इस काण्ड को धारा—272/273/284/420 भा0द0वि0 एवं 47ए/55 झारखण्ड उत्पाद शुल्क अधिनियम 1915 के अन्तर्गत प्राथमिकी अभियुक्त सफेद रंग का पिकअप वाहन निबंधन सं0—BR21G-0392 (इंजन नम्बर—GHB1G75498, चेचिस नम्बर—MA1ZN2GHKB1-G39343) के मालिक नवीन कुमार, पिता—राजो यादव, ग्राम—गोसाई गाँव, थाना—धोसवरी, धनक डोभ पटना, बिहार एवं चालक के विरूद्ध सत्य पाया गया है।

पुलिस अधीक्षक, गोड्डा से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में विपक्षी से कारण—पृच्छा की माँग की गयी है। विपक्षी की ओर से कारण—पृच्छा दाखिल किया गया है। विपक्षी ने दाखिल कारण—पृच्छा में उल्लेख किया है कि जप्त वाहन बैंक से ऋण प्राप्त कर क्रय किया है। उक्त वाहन व्यवसायिक वाहन है एवं उक्त वाहन स्थानीय क्षेत्र में प्रयुक्त किया जाता है।

विपक्षी जप्त वाहन को मुक्त करने के लिए जमानती बंध पत्र दाखिल करने के लिए तैयार है। इसलिए जप्त पिकअप वाहन निबंधन सं0—BR21G-0392 को राजसात से विमुक्त करने की कृपा की जाय।

विज्ञ सरकारी वकील को सुनने एवं विपक्षी की ओर से दाखिल कारण—पृच्छा तथा अभिलेखबद्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि पिकअप वाहन निबंधन सं0—BR21G-0392 पर ब्लू बोल्ड कम्पनी का 180 एम0एल0 का विदेशी शराब का 3,864 पीस एवं 375 एम0एल0 का 17 पीस विदेशी शराब पाया गया। जप्ती के समय जप्त वाहन पर लदे शराब के संबंध में कोई भी कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया था एवं वर्तमान वाद में भी विपक्षी के द्वारा उक्त वाहन पर लदे शराब के संबंध में कोई भी कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि उक्त वाहन के द्वारा अवैध शराब का परिवहन किया जा रहा था। ऐसी स्थिति में जप्त वाहन एवं उस पर लदे शराब को राजसात करना आवश्यक प्रतीत होता है।

अतः उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में जप्त पिकअप वाहन निबंधन सं0—BR21G-0392 एवं उस पर लदे शराब को झारखण्ड उत्पाद अधिनियम 1915 की धारा 66 के तहत राजसात किया जाता है। आदेश की प्रति थाना प्रभारी, देवडॉड़/जिला परिवहन पदाधिकारी, गोड्डा/उत्पाद अधीक्षक, गोड्डा/पुलिस अधीक्षक, गोड्डा/प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गोड्डा को दें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त,
गोड्डा।

उपायुक्त,
गोड्डा।

Digitally signed by Anjali Yadav
Date: 2025.10.15 14:27:30 +05:30
Location: 192.168.1.36